INSURANCE CAPSULE FOR

UIIC ASSISTANT, UIIC AO, NICL AO, GIC ASSISTANT MANAGER 2024

PART 1

Insurance Capsule for UIIC Assistant, UIIC AO, NICL AO, GIC Assistant Manager 2024, Part 1

भारत में जीवन बीमा का इतिहास

परिचय

भारत में बीमा की कहानी एक दिलचस्प यात्रा है जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक, भारत में बीमा महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जो यहां के लोगों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह लेख भारत में बीमा के इतिहास पर प्रकाश डालता है, जीवन और सामान्य बीमा दोनों क्षेत्रों में प्रमुख मील के पत्थर और परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। बीमा न केवल व्यवसाय की दुनिया में एक बड़ी बात है बल्कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है।

बीमा क्षेत्र का विकास: प्राचीन शुरुआत

बीमा, अपने प्रारंभिक रूप में, लगभग 6000 वर्ष पुराना है। हानि और आपदा से सुरक्षा की मानवीय प्रवृत्ति से प्रेरित यह अवधारणा, आज की तरह ही आदिम समाजों में मौजूद थी। हालाँकि, पिछली कुछ शताब्दियों में, विशेष रूप से औद्योगिक युग के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, बीमा ने आकार लेना शुरू कर दिया।

भारत में जीवन बीमा की शुरुआत

1818: ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

भारत में जीवन बीमा का आधुनिक रूप 1818 में यूरोपीय लोगों द्वारा कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुआ। यह भारतीय धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी, जो मुख्य रूप से यूरोपीय समुदाय को सेवा प्रदान करती थी।

1870: बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसायटी

गौरतलब है कि 1870 में, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी के रूप में उभरी, जो भारतीय नागरिकों को सामान्य दरों पर पॉलिसी पेश करती थी। भारतीयों के लिए बीमा को सुलभ बनाने में यह एक मील का पत्थर था।

20वीं सदी की शुरुआत: स्वदेशी आंदोलन और बीमा

स्वदेशी आंदोलन (1905-1907) ने देशभक्तिपूर्ण दृष्टि से कई बीमा कंपनियों के गठन को प्रेरित किया। इनमें से उल्लेखनीय मद्रास में यूनाइटेड इंडिया, कलकत्ता में नेशनल इंडियन एंड नेशनल इंश्योरेंस और लाहौर में सहकारी आश्वासन थे।

1912: विधायी विकास

1912 से पहले, भारत में बीमा को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। 1912 के जीवन बीमा कंपनी अधिनियम ने महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, जिसमें प्रीमियम दर तालिकाओं और मूल्यांकन के बीमांकिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता भी शामिल थी। हालाँकि, इस अधिनियम ने भारतीय कंपनियों को उनके विदेशी समकक्षों की तुलना में नुकसान में डाल दिया।

बीमा का विकास और विनियमन

1938: बीमा अधिनियम

20वीं सदी की शुरुआत में बीमा उद्योग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। हालाँकि, कई वित्तीय रूप से अस्वस्थ संस्थाएँ भी उभरीं, जिसके कारण 1938 का बीमा अधिनियम सामने आया। जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों को नियंत्रित करने वाले इस अधिनियम का उद्देश्य व्यवसाय पर सख्त राज्य नियंत्रण प्रदान करना और बीमा करने वाली जनता के हितों की रक्षा करना था।

राष्ट्रीयकरण एवं विस्तार

1956: जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण

1940 के दशक में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की मांग ने जोर पकड़ लिया। अंततः, 1956 में, भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का गठन करके जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था।

LIC का विकास और सेवाएँ

राष्ट्रीयकरण के बाद, एलआईसी का देश भर में कई शाखा कार्यालयों के साथ तेजी से विस्तार हुआ। इसने पहुंच और सेवा में आसानी पर जोर देते हुए ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान सुविधाओं और सैटेलाइट कार्यालयों जैसी विभिन्न ग्राहक सुविधाएं भी पेश कीं।

सामान्य बीमा की उत्पत्ति और विकास

1850: ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय 1850 में कलकत्ता में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ शुरू हुआ।

सामान्य बीमा

- 1907: इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना की गई।
- 1957: सामान्य बीमा परिषद का गठन किया गया।
- 1968: बीमा अधिनियम में संशोधन ने निवेश और सॉल्वेंसी मार्जिन पर नियम पेश किए।
- 1972: सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के कारण सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ।

राष्ट्रीयकरण के बाद का विकास

राष्ट्रीयकरण के बाद, सामान्य बीमा व्यवसाय को चार कंपनियों में समेकित किया गया: नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (जीआईसी) के साथ होल्डिंग कंपनी के रूप में।

भारत में सामान्य बीमा का इतिहास

परिभाषा और दायरा

सामान्य बीमा और जीवन बीमा के बीच अंतर - दोनों बीमा पॉलिसियाँ बीमित व्यक्ति को अलग-अलग तरीकों से कवर करती हैं। सामान्य बीमा पॉलिसियों में स्वास्थ्य, मोटर, गृह, यात्रा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शामिल हैं। अनिवार्य रूप से, यह परिसंपत्तियों को कवर करता है, हानि या क्षति के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। पॉलिसीधारक इन परिसंपत्तियों का बीमा करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जिससे भविष्य में संभावित नुकसान या क्षति के प्रभाव को कम किया जा सके।

सामान्य बीमा का महत्व

- संपत्ति संरक्षण: यह संपत्ति के लिए कवरेज प्रदान करता है, नुकसान या क्षति के लिए वित्तीय मुआवजा सुनिश्चित करता है।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायता: पॉलिसीधारकों के पास नुकसान की स्थिति में मदद करने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत होता है।
- वित्तीय सुरक्षा: सभी वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा की जाती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है।
- राहत और आश्वासन: यह सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, यह जानते हुए कि जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है।

भारत में सामान्य बीमा का विकास

शुरुआती दिन

- औपनिवेशिक प्रभाव: ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार नीति का आगमन।
- पहला विकास: 1850 में, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कलकत्ता में हुई, जिसने भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का नेतृत्व किया।

स्वतंत्रता के बाद का युग

- 1957: निष्पक्ष व्यवसाय प्रथाओं के लिए सामान्य बीमा परिषद का गठन।
- 1968: निवेश और सॉल्वेंसी मार्जिन को विनियमित करने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन।
- 1972: जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम (जीआईबीएनए) के माध्यम से राष्ट्रीयकरण, जिससे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनियों का निर्माण हुआ।

नियामक विकास

- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीएए): एक प्रमुख बदलाव के रूप में, जीआईसी और उसकी सहायक कंपनियों के विशेष लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया, जिससे बीमा बाजार अधिक उदार हो गया।

भारत में सामान्य बीमा पॉलिसियों के प्रकार

मोटर बीमा

- तृतीय-पक्ष दायित्व: मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार तीसरे पक्ष को हुए नुकसान को कवर करना अनिवार्य है।
- व्यापक पैकेज पॉलिसी: तीसरे पक्ष की देनदारियों और व्यक्तिगत क्षति या हानि दोनों को कवर करती है।

स्वास्थ्य बीमा

- दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करता है, जो व्यक्तिगत या पारिवारिक योजनाओं के रूप में उपलब्ध है।

गृह बीमा

- संरचना बीमा: घर की भौतिक संरचना को कवर करता है।
- सामग्री बीमा: फर्नीचर जैसी सामग्री की सुरक्षा करता है।
- व्यापक बीमा: संरचना और सामग्री कवरेज को जोड़ती है।

यात्रा बीमा

- सामान खोने, यात्रा रद्द होने या उड़ान में देरी जैसे यात्रा संबंधी जोखिमों को कवर करता है।

वाणिज्यिक बीमा

- व्यवसायों और व्यापारियों के लिए तैयार, आग, चोरी, समूह स्वास्थ्य, आदि जैसे विभिन्न जोखिमों को कवर करता है।

भारतीय सामान्य बीमा क्षेत्र की अग्रणी कंपनियाँ

डिजिट जनरल इंश्योरेंस

- उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला वाली भारत की पहली डिजिटल बीमा कंपनी।

लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस

- औद्योगिक, वाणिज्यिक और खुदरा समाधानों के लिए जाना जाता है।

राष्ट्रीय सामान्य बीमा

- भारत में सबसे पुराना, ऑटो बीमा में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त।

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस

- विस्तृत नेटवर्क के साथ उत्पादों की विविध रेंज पेश करता है।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस

- एसबीआई और आईएजी के बीच एक संयुक्त उद्यम, जो अपनी व्यापक पेशकशों के लिए जाना जाता है।

भारत में सामान्य बीमा: सांख्यिकी और रुझान

बाजार में प्रवेश

- 2019 तक, जीवन बीमा की पहुंच 2.82% थी, जबकि गैर-जीवन बीमा 0.94% थी।

उत्पाद-वार वितरण (FY2019)

- मोटर और स्वास्थ्य बीमा जैसे खुदरा उत्पाद बाजार पर हावी हैं।

निजी क्षेत्र मोटर बीमा बाजार हिस्सेदारी (FY2019)
- निजी बीमाकर्ताओं के पास मोटर बीमा में 68% बाजार हिस्सेदारी है।

भारत में सामान्य बीमा का भविष्य

ग्राहक-उन्मुख विकास
- समग्र, ग्राहक-केंद्रित समाधान पेश करने पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है।
- स्वास्थ्य ट्रैकिंग के लिए पहनने योग्य उपकरणों जैसी प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण।
- पारंपरिक बीमा कवरेज के साथ-साथ मूल्यवर्धित सेवाओं पर जोर।

सांस्कृतिक बदलाव
- लेन-देन-आधारित रिश्तों से भावनात्मक संबंधों और ग्राहक-केंद्रित समाधानों की ओर बढ़ना।

IRDAI का व्यापक अवलोकन

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) 1999 के आईआरडीएआई अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देना है। प्राधिकरण पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करते हुए बीमा क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्य एवं उत्तरदायित्व

आईआरडीएआई की जिम्मेदारियों में आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14 में परिभाषित कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इनमें शामिल हैं:
- पंजीकरण प्रबंधन: बीमा संस्थाओं के पंजीकरण जारी करना, नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना।
- पॉलिसीधारक सुरक्षा: पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- मध्यस्थों और एजेंटों के लिए मानक: बीमा मध्यस्थों और एजेंटों के लिए योग्यता, आचार संहिता और प्रशिक्षण निर्दिष्ट करना।
- दक्षता को बढ़ावा देना: बीमा व्यवसायों के संचालन में दक्षता को प्रोत्साहित करना।
- व्यावसायिक संगठन विनियमन: बीमा और पुनर्बीमा से जुड़े पेशेवर संगठनों का विनियमन।
- निरीक्षण और जांच: बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों का निरीक्षण और जांच करना।
- वित्तीय विनियम: कंपनी के फंड के निवेश, सॉल्वेंसी के मार्जिन और टैरिफ सलाहकार समिति को विनियमित करना।
- विवाद न्यायनिर्णयन: बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों के बीच विवादों का समाधान करना।

इसके अतिरिक्त, IRDAI ने पॉलिसीधारकों के लिए सुविधा और पहुंच को बढ़ाने, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियों के रखरखाव की सुविधा के लिए एक बीमा भंडार प्रणाली स्थापित की है।

विकास और पहल

2047 तक भारत का बीमा करना

IRDAI ने 2047 तक भारत का बीमा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन निर्धारित किया है। इस पहल का लक्ष्य देश भर में बीमा कवरेज का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करना है, जिसमें वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह मिशन पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा करते हुए बीमा क्षेत्र में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के आईआरडीएआई के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।

विनियामक सुधार

आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र की उभरती जरूरतों के अनुरूप लगातार सुधार पेश करता रहता है। ये सुधार पारदर्शिता बढ़ाने, दक्षता को बढ़ावा देने और मजबूत उपभोक्ता संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। निरंतर सुधार के प्रति IRDAI की प्रतिबद्धता एक गतिशील और उत्तरदायी नियामक वातावरण बनाए रखने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है।

संगठनात्मक संरचना

IRDAI की संगठनात्मक संरचना में विभिन्न परिषदें और समितियाँ शामिल हैं, जैसे बीमा परिषदें और बीमा सलाहकार समिति, जो इसके नियामक और विकासात्मक कार्यों में योगदान करती हैं। यह निकाय बीमा उद्योग के सभी पहलुओं की व्यापक नियामक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बीमांकिक, सर्वेक्षणकर्ता, कॉर्पोरेट एजेंट, दलाल और तीसरे पक्ष के प्रशासकों का एक पैनल भी शामिल करता है।

बीमा के सिद्धांत को समझना

जोखिम प्रबंधन में बीमा एक मौलिक उपकरण है, जो वित्तीय हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें संभावित नुकसान के जोखिम को किसी व्यक्ति या संस्था से बीमा कंपनी को स्थानांतरित करना शामिल है। प्रीमियम का भुगतान करके, बीमाधारक को यह वादा मिलता है कि कवर किए गए नुकसान की स्थिति में बीमाकर्ता उन्हें मुआवजा देगा। यह लेख उन मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है जो बीमा की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं।

अत्यंत सद्भावना का सिद्धांत (उबेरिमा फ़ाइड्स)

- **परिभाषा:** यह सिद्धांत अनिवार्य करता है कि बीमा अनुबंध के दोनों पक्षों को अच्छे विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए।
- **आवेदन:** बीमाधारक को जोखिम के बारे में सभी प्रासंगिक तथ्यों का बीमाकर्ता को खुलासा करना होगा। इसके विपरीत, बीमाकर्ता को अनुबंध के नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए।

बीमायोग्य ब्याज का सिद्धांत

- **परिभाषा:** बीमाधारक का बीमा के विषय में वैध वित्तीय हित होना चाहिए।
- **आवेदन:** उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का अपने जीवन और संपत्ति में बीमा योग्य हित है लेकिन वह पड़ोसी के घर का बीमा नहीं कर सकता है।

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत

- **परिभाषा:** यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बीमा पॉलिसियाँ लाभ नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई करती हैं।
- **आवेदन:** प्रदान किया गया मुआवजा आर्थिक नुकसान से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, संपत्ति बीमा में, बीमाकर्ता क्षतिग्रस्त संपत्ति के वास्तविक नकद मूल्य की भरपाई करता है।

योगदान का सिद्धांत

- **परिभाषा:** यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति एक ही जोखिम के लिए कई बीमा पॉलिसी रखता है।
- **आवेदन:** किसी दावे के मामले में, सभी बीमाकर्ता हानि के लिए आनुपातिक रूप से योगदान करते हैं। यह बीमाधारक को कई पॉलिसियों से दावा करके लाभ कमाने से रोकता है।

प्रस्थापन का सिद्धांत

- **परिभाषा:** बीमाकर्ता नुकसान के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्षों से वसूली के लिए बीमाधारक के कानूनी अधिकारों को मान सकता है।
- **आवेदन:** यदि कोई बीमा कंपनी किसी अन्य ड्राइवर के कारण हुई कार दुर्घटना के लिए भुगतान करती है, तो वे गलती करने वाले ड्राइवर से प्रतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

निकटतम कारण का सिद्धांत

- **परिभाषा:** यह निर्धारित करता है कि कई में से कौन सा जोखिम नुकसान का वास्तविक कारण था।
- **आवेदन:** यदि किसी संपत्ति का आग से बीमा कराया गया है, लेकिन भूकंप के कारण वह जल जाती है, तो पॉलिसी भूकंप को कवर नहीं करती है, तो बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं है।

हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत

- **परिभाषा:** बीमित पक्षों को नुकसान को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
- **आवेदन:** आग लगने की स्थिति में, संपत्ति के मालिक को इसे बुझाने का प्रयास करना चाहिए और इसे जलने नहीं देना चाहिए क्योंकि बीमा है।

कॉसा प्रॉक्सिमा का सिद्धांत (निकटतम कारण)

- **परिभाषा:** जब कोई हानि एक से अधिक कारणों का परिणाम होती है, तो यह निर्धारित करने के लिए कि हानि कवर की गई है या नहीं, निकटतम कारण पर विचार किया जाना चाहिए।
- **आवेदन:** यदि निकटतम कारण कोई बीमाकृत संकट है, तो बीमाकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

बीमा के प्रकार

वित्तीय नियोजन और जोखिम प्रबंधन में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2024 में, अप्रत्याशित घटनाओं से खुद को बचाने के लिए व्यक्तियों और परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के बीमा को समझना आवश्यक है। यह लेख उपलब्ध बीमा के मुख्य प्रकारों और उनके महत्व का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है।

सामान्य बीमा के प्रकार

1. व्यक्तिगत विकलांगता बीमा

- **परिभाषा:** चोट या बीमारी के कारण आय के नुकसान को कवर करता है, जिससे रिकवरी के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **महत्व:** काम करने में असमर्थ लोगों के लिए आय प्रतिस्थापन प्रदान करता है, यह देखते हुए महत्वपूर्ण है कि 20-वर्षीय बच्चों में से लगभग 25% को 67 वर्ष से पहले विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है।

2. दीर्घकालिक देखभाल बीमा

- **परिभाषा:** जब स्वयं की देखभाल असंभव हो जाती है तो नर्सिंग होम, सहायता प्राप्त जीवन या घर में देखभाल के खर्चों में सहायता करता है।
- **महत्व:** बुजुर्गों की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि नियमित स्वास्थ्य बीमा या मेडिकेयर अक्सर इन सेवाओं को कवर नहीं करता है।

3. सावधि जीवन बीमा

- **परिभाषा:** एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कवरेज प्रदान करता है और पॉलिसीधारक की मृत्यु पर लाभार्थियों को मृत्यु लाभ का भुगतान करता है।
- **महत्व:** पारिवारिक वित्तीय सुरक्षा की कुंजी, खासकर यदि आश्रित पॉलिसीधारक की आय पर निर्भर हों।

4. स्वास्थ्य बीमा

- **परिभाषा:** डॉक्टर के दौरे, अस्पताल में रहने और सर्जरी सहित चिकित्सा व्यय को कवर करता है।
- **महत्व:** उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत के प्रबंधन के लिए आवश्यक; चिकित्सा व्यय-संबंधी दिवालियापन को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक।

5. गृहस्वामी/किराएदार बीमा

- **परिभाषा:** आग, चोरी, या प्राकृतिक आपदाओं जैसे विभिन्न जोखिमों के कारण संपत्ति के नुकसान या क्षति से बचाता है।
- **महत्व:** संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक; बंधक ऋणदाताओं द्वारा अक्सर इसकी आवश्यकता होती है।

6. ऑटो बीमा

- **परिभाषा:** दुर्घटनाओं में वाहन क्षति और दायित्व के लिए कवरेज प्रदान करता है।
- **महत्व:** अधिकांश स्थानों पर कानूनी रूप से आवश्यक; ऑटो दुर्घटनाओं में वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।

7. छाता बीमा

- **परिभाषा:** मानक पॉलिसी सीमाओं से परे अतिरिक्त दायित्व सुरक्षा प्रदान करता है।
- **महत्व:** मानक बीमा पॉलिसियों के कवरेज से परे संपत्ति और आय की सुरक्षा करता है।

जीवन बीमा की किस्में

सावधि जीवन बीमा

- **विशेषताएं:** किफायती प्रीमियम के साथ निश्चित अवधि का कवरेज; अल्पकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए लोकप्रिय।
- **प्रकार:** बढ़ती और घटती अवधि का जीवन बीमा, बंधक कवरेज जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त।

स्थायी जीवन बीमा

- **विशेषताएं:** आजीवन कवरेज, अक्सर नकद मूल्य घटक के साथ; संपूर्ण जीवन और सार्वभौमिक जीवन बीमा शामिल है।
- **वेरिएंट:**
  - **संपूर्ण जीवन बीमा:** निश्चित प्रीमियम, आजीवन कवरेज, नकद मूल्य का निर्माण।
  - **सार्वभौमिक जीवन बीमा:** नकद मूल्य घटक के साथ लचीले प्रीमियम और लाभ।
  - **परिवर्तनीय जीवन बीमा:** निवेश से जुड़ा, जिसमें बाजार प्रदर्शन के आधार पर नकद मूल्य में उतार-चढ़ाव होता है।

विशिष्ट जीवन बीमा उत्पाद

- **अंतिम व्यय/दफन बीमा:** अंतिम संस्कार और संबंधित लागतों को कवर करता है।
- **सरलीकृत अंक और गारंटीकृत अंक जीवन बीमा:** उन लोगों के लिए जो चिकित्सा परीक्षा कराने में असमर्थ हैं।
- **समूह जीवन बीमा:** नियोक्ताओं या संघों द्वारा कम दरों पर पेश किया जाता है।

भारतीय बीमा बाज़ार: 2024 के लिए रुझान और संभावनाएँ

विकास और विदेशी निवेश

भारतीय बीमा बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि और विदेशी पूंजी का प्रवाह देखा जा रहा है। भारत के बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा में वृद्धि ने अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों से पर्याप्त निवेश आकर्षित किया है। नई पूंजी के इस प्रवाह से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण के साथ-साथ बाजार में और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बाज़ार की गतिशीलता और अनुमान

- **विकास अनुमान:** भारतीय बीमा क्षेत्र में G20 देशों के बीच सबसे तेज़ वृद्धि का अनुभव होने का अनुमान है, 2024-2028 के दौरान वास्तविक रूप से 7.1% की अनुमानित औसत वृद्धि दर होगी।
- **वैश्विक तुलना:** यह वृद्धि दर वैश्विक बीमा बाजार की लगभग 2.4% की अनुमानित वृद्धि दर से काफी अधिक है।
- **जीवन बीमा बाजार:** भारत में जीवन बीमा बाजार के 2024 तक 8 ट्रिलियन रुपये (107.27 बिलियन अमरीकी डालर) के कारोबार तक पहुंचने की उम्मीद है, पांच वर्षों (2019-2024) में 7% की अनुमानित औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ।

प्रमुख रुझान और विकास

- **नियामक सुधार और डिजिटल पहल:** भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, पहुंच में सुधार और पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सुधार पेश किए हैं। इनमें बीमा सुगम और बीमा विस्तार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च उल्लेखनीय है, जो बीमा की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **महिला-केंद्रित पहल:** महिलाओं पर लक्षित कार्यक्रम बीमा वाहक की शुरूआत, बीमा वितरण और जागरूकता में लैंगिक समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **ग्राहक सशक्तिकरण पर जोर:** सरलीकृत नीति दस्तावेजों, त्वरित दावा प्रक्रियाओं और उपयोगकर्ता के अनुकूल नीतियों सहित आईआरडीएआई की पहल, ग्राहक सशक्तिकरण को बढ़ाने और उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

डिजिटल परिवर्तन

- **डेटा-संचालित ब्रोकरेज उद्योग:** भारतीय बीमा ब्रोकरेज क्षेत्र तेजी से डेटा-संचालित परिवर्तनों को अपना रहा है। इसमें वैयक्तिकृत ग्राहक उत्पाद और सेवाएँ, स्वचालित और तेज़ दावा निपटान, और ग्राहक प्रोफ़ाइलिंग और विभाजन के लिए एआई, स्वचालन, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शामिल है।
- **जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेना:** डेटा एनालिटिक्स जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे ब्रोकरों को ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने में मदद मिलती है।

बाज़ार की वृद्धि और अनुमान

- **सामान्य बीमा उद्योग में वृद्धि:** भारत में सामान्य बीमा उद्योग 2024 तक 36.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 से 2024 तक 8.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। यह वृद्धि आर्थिक सुधार और वृद्धि जैसे कारकों से प्रेरित है। घरेलु मांग।
- **सेक्टर-विशिष्ट विकास:** मोटर बीमा, सामान्य बीमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार, ऑटो बिक्री में प्रत्याशित सुधार के कारण बढ़ने का अनुमान है। संपत्ति बीमा में भी वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि से प्रेरित है। व्यक्तिगत दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा खंड में जोरदार वृद्धि का अनुमान है, आंशिक रूप से बढ़ी हुई स्वास्थ्य जागरूकता और COVID-19 विशिष्ट बीमा उत्पादों की मांग के कारण।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का अवलोकन

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ देश के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती हैं। यहां इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का अद्यतन अवलोकन दिया गया है:

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

- **निगमन:** 1 सितंबर, 1956 को बीमा अधिनियम, 1956 के तहत 243 कंपनियों के एकीकरण के माध्यम से।
- **शासन:** बीमा अधिनियम, 1938, एलआईसी अधिनियम, 1956, एलआईसी विनियम, 1959, और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा विनियमित।
- **मुख्यालय:** मुंबई.
- **अध्यक्ष:** मेरे अंतिम अपडेट के अनुसार, एमआर कुमार अध्यक्ष थे। हालाँकि, इस जानकारी को वर्तमान सटीकता के लिए सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।

2. भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी)

- **प्रकृति:** राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम और 2016 तक भारत में एकमात्र पुनर्बीमा कंपनी थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय विस्तार:** 2016 में विदेशी पुनर्बीमा खिलाड़ियों के लिए खोला गया।
- **मुख्यालय:** मुंबई.
- **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक:** रामास्वामी नारायणन सीएमडी थे, लेकिन कृपया वर्तमान विवरण के लिए सत्यापित करें।

3. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- **स्थापना:** 1919 सर दोराबजी टाटा द्वारा।
- **परिचालन:** बहुराष्ट्रीय, 28 देशों में कार्यरत।
- **मुख्यालय:** मुंबई.
- **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक:** सुश्री नीरजा कपूर सीएमडी थीं, जिन्हें वर्तमान सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।

4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- **निगमन:** 18 फ़रवरी 1938.
- **राष्ट्रीयकरण:** 1972, विभिन्न कंपनियों और विदेशी बीमाकर्ताओं के भारतीय परिचालन का विलय।
- **मुख्यालय:** चेन्नई.
- **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक:** श्री सत्यजीत त्रिपाठी इस भूमिका में थे, जो वर्तमान पुष्टि पर निर्भर है।

5. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- **स्थापना:** 12 सितंबर, 1947, बंबई में।
- **इतिहास:** 1956 से 1973 तक राष्ट्रीयकरण तक एलआईसी की सहायक कंपनी।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली.
- **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक:** श्री आर. आर. सिंह संयुक्त प्रभार में। वर्तमान पदाधिकारियों को पक्का किया जाना चाहिए.

6. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसी)

- **स्थापना:** 5 दिसंबर, 1906, कोलकाता में।
- **पृष्ठभूमि:** 1972 में राष्ट्रीयकरण के बाद कई कंपनियों के साथ विलय।
- **मुख्यालय:** कोलकाता.
- **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक:** श्रीमती राजेश्वरी सिंह मुनि उस पद पर थे, जिसके लिए वर्तमान सत्यापन की आवश्यकता है।

7. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी)

- **स्थापना:** केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2002-03 के आम बजट भाषण के बाद।
- **उद्देश्य:** कृषि क्षेत्र की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली.
- **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक:** सुश्री गिरिजा सुब्रमण्यम सीएमडी थीं, उन्हें वर्तमान स्थिति की पुष्टि की आवश्यकता थी।